चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक भास्कर	18.12.22	2	3-6

विकसित बेर से गुठली निकालने के यंत्र को मिला पेटेंट अब बच्चों और बुजुर्गों को खाने में नहीं होगी दिक्कत

बेर शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर है फल : प्रो. काम्बोज

भास्कर न्यूज | हिसार

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदान किया गया है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फंसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

एचएयू के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण।

विवि को मिल चुके हैं 20 पेटेंट

कुलपति ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विवि को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त है यन्त्र

विवि के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसकी कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ बढ़िया पैकेजिंग व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक जागरण	18-12-22	4	1-4

बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को मिला पेटेंट

जागरण संवाददाता, हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डा. मुकेश कुमार द्वारा डा. देवी सिंह व डा. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यंत्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत किया गया है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज के साथ डा. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण । पीआरओ

विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं 20 पेटेंट

कुलपति ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विवि में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को छह डिजाइन पेटेंट, 11 कापीराइट व एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके है।

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त है यंत्र

विवि के अनुसंधान निदेशक डा. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ बढ़िया पैकिंग व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पंजाब केसरी	18.12.22	4	3-5

हकृवि में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने वाले यन्त्र को मिला पेटेंट

विश्वविद्यालय को अब तक मिल चुके हैं 20 पेटेंट

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण।

हिसार, 17 दिसम्बर (राठी): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते है। लेकिन बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

कुलपति प्रो. काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

नवनियुक्त आई.ए.एस. डॉ. हरीश को किया सम्मानित

हिसार (ब्यूरो): डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ पशुपालन विभाग में साल 2001 से बतौर पशु चिकित्सक कार्यरत थे। डॉ. हरीश हाल ही में हरियाणा कैडर से आई.ए.एस. नियुक्त हुए हैं। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मंगाली के प्रधानाचार्य और गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने डॉ. हरीश का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में बिट्टू शर्मा ने मंच का संचालन किया व विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर योगेश सिंधु, डॉ. प्रदीप लांबा, धर्मवीर सिंह, मनीराम, धर्मपाल, सत्यपाल दलाल, प्रमोद, संदीप, सुल्तान, प्रवीण, अनूप व रामकुमार आदि साथी कर्मचारी उपस्थित रहे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक ट्रिब्यून	18.12.22	3	1-3

बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को मिला पेटेंट !

हिसार, 17 दिसंबर (लिस)

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हकृवि) में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित इस यंत्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए अनुदत्त किया गया है।

कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है।

विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं 20 पेटेंट

कुलपति ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अजीत समाचार	18-12-22	5	4-7

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को मिला पेटेंट

हिसार, 17 दिसंबर (विरेंद्र वर्मा): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी,

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण।

परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं 20 पेटेंट : कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त है यन्त्र : विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ बढ़िया पैकिंग व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसकी प्रोसेसिंग की मांग बढ़ने से तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसानों को इसके उचित भाव भी मिलेंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक भूमि	18.12.22	9	1-6

विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी मिल चुके

हकृवि में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को मिला पेटेंट

हरिभूमि न्यूज ⏭ हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यंत्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है।

हिसार। कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारी। फोटो: हरिभूमि

कुलपति ने गिनवाए फायदे

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते है। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते है। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं 20 पेटेंट

कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त है यंत्र

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी बेकरी व सुरक्षा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ बढ़िया पैकिंग व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसकी प्रोसेसिंग की मांग बढ़ने से गुठली के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसानों को इसके उचित मांग भी मिलेंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
सच कहूं	18.12.22	5	3-8

उपलब्धि

भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा किया गया पेटेंट

एचएयू में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को मिला पेटेंट

खोज

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण।

विश्वविद्यालय को मिल चुके 20 पेटेंट

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त यंत्र

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा इसकी प्रोसेसिंग की मांग बढ़ने से तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसानों को इसके उचित भाव भी मिलेंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
Times of India	18.12.22	3	4-5

Hry agri varsity's fruit destoner gets patent

Kumar Mukesh | TNN

Hisar: The ber fruit destoner machine developed at Haryana Agricultural University (HAU) here has been granted a patent by the Indian Patent Office. The machine, developed by Dr Mukesh Kumar, assistant professor working in the department of horticulture, in collaboration with Dr Devi Singh and Dr Rajendra Singh Godara, has been given the patent for 20 years under the Patent Act.

Director, research, HAU Dr Jeet Ram Sharma said after removing the hard kernel, pulp of ber fruit could be easily processed and it can be used to make different types of products.

Along with this, there is no need to make holes in the fruit to make its candy and marmalade, due to which its good quality as well as good packaging and transportation can be done easily, he said, adding that by increasing the demand for the fruit's processing, post-harvest losses would be reduced and farmers would also get fair prices.

The machine, developed by Dr Mukesh Kumar, asst prof in horticulture dept has been given patent for 20 years under Patent Act

Prof BR Kamboj, vice-chancellor of the university, said ber, the king of fruits of dry region, also known as poor man's fruit, contains a lot of nutrients and vitamins, but due to the hard kernel, we refrain from giving it to small children and elders. That is why this device has been developed, he said. "With this patent, the number of patents granted so far to various technologies developed at the university has gone up to 20. In addition to these, the university has also been granted six design patents, 11 copyrights and one trade mark," said the VC.

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पाठकपक्ष	17.12.2022	-----	-----

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को मिला पेटेंट

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण।

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 17 दिसम्बर : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फैंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त है यन्त्र

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ बढ़िया पैकिंग व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसकी प्रोसेसिंग की मांग बढ़ने से तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसानों को इसके उचित भाव भी मिलेंगे।

विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं 20 पेटेंट

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
सिटी पल्स	17.12.2022	-----	-----

एचएयू में विकसित किए बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को मिला पेटेंट

विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके है

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण।

सिटी पल्स न्यूज, हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। कृषि महाविद्यालय के खाण्डवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है।

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ बढ़िया पैकिंग व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसकी प्रोसेसिंग की मांग बढ़ने से तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
समस्त हरियाणा	17.12.2022	-----	-----

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को मिला पेटेंट

समस्त हरियाणा न्यूज

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 403016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता को समाप्त कम होगी। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों

में इसकी गुठली के खाने की नली में फसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे। कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी केंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ अधिक पैदावार व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसकी प्रोसेसिंग की मांग बढ़ने से गुठली के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसानों को इसके उचित भाव भी मिलेंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
आज समाचार	18.12.2022	-----	-----

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को मिला पेटेंट

प्रवीन कुमार

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है, इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं जिससे लोगों में कुपोषण की समस्या कम होगी।

परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फंसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त बाजार में उपलब्ध बेर की गुठली के साथ इसका गुदा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना डर के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं 20 पेटेंट: कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त है यन्त्र: विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुदा भी आसानी से बनाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। इसके साथ ही इसकी कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए फल में छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ वांछित पैकेजिंग व परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसकी प्रोसेसिंग की मांग बढ़ने से तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसानों को इसके उचित भाव भी मिलेंगे।

फोटो कैप्शन: कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक हिसार	18.12.2022	-----	-----

हकृवि में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को मिला पेटेंट

हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यन्त्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेन्द्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यन्त्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट अनुदत किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बेर जिसको शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा व गरीब का फल भी कहा जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों व विटामिनों से भरपूर फल है। इसके प्रयोग से उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते है जिससे लोगों में कुपोषणता की समस्या कम होगी। परन्तु इस फल में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फसने का भय बना रहता है एवं बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुद्दा भी चिपका रह जाता है जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा बेर की गुठली निकालने के बाद बच्चों को इसे बिना भय के खाने को दिया जा सकता है और बुजुर्ग भी इसको आसानी से खा सकेंगे।

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई हैं। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए ।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अमर उजाला	18-12-22	1	1-4

उपलब्धि

एचएयू में विकसित यंत्र को 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट किया गया

बेर से गुठली निकालने के यंत्र को मिला पेटेंट

माई सिटी रिपोर्टर

हिसार। कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट प्रदान किया है। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार द्वारा डॉ. देवी सिंह व डॉ. राजेंद्र सिंह गोदारा के सहयोग से विकसित किए गए इस यंत्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 20 साल की अवधि के लिए 408016 संख्या से पेटेंट किया गया है।

एचएयू कुलपति प्रो. बीआर कांबोज ने बताया कि बेर में गुठली होने की वजह से हम इसको छोटे बच्चों, बुजुर्गों व आमजन को देने में परहेज करते हैं। बच्चों में इसकी गुठली के खाने की नली में फंसने का भय बना रहता है। बुजुर्ग लोगों के कमजोर दांत टूटने का खतरा रहता है। इनके अतिरिक्त खाते समय बेर की गुठली के साथ इसका गुदा भी चिपका रह जाता है, जिससे इसमें उपस्थित पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। गुठली को मुंह से निकालकर बार-बार फेंकना भी एक समस्या है। अब बच्चे और बुजुर्ग भी आसानी से बेर खा सकेंगे। कुलपति ने बताया कि इस पेटेंट के साथ विवि में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकी पर अब तक मिल चुके पेटेंटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 6 डिजाइन पेटेंट, 11 कॉपीराइट और एक ट्रेड मार्क भी प्रदान किए जा चुके हैं।

एचएयू कुलपति प्रो. कांबोज के साथ डॉ. मुकेश कुमार व अन्य अधिकारीगण पेटेंट पत्र दिखाते हुए। संवाद

प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयुक्त है यंत्र

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जीत राम शर्मा ने कहा कि गुठली निकालने के बाद प्रसंस्करण के लिए बेर का गुदा भी आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता की कैंडी व मुरब्बा भी बनाया जा सकता है।